

बिहार सरकार  
राजस्व पर्षद बिहार

(अधिसूचना)

संचिका सं०-10/नीति नीति (शुल्क पुनरीक्षण)-88/2012-21

दिनांक-09.1.2013

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II) (1915), धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार की अधिसूचना संख्या-23-137-2- दिनांक-29-वीं अप्रिल 1919 के अधीन निर्मित तथा बाद में समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. नियम-105 (ख) देशी शराब एवं मशालेदार देशी शराब के निर्गमण हेतु विभागीय अधिसूचना 575 दिनांक-04.03.2011 द्वारा संशोधित संचलन शुल्क की दर में संशोधन करते हुए देशी शराब एवं मशालेदार देशी शराब के निर्गमण हेतु 13 (तेरह रुपये) प्रति एल0पी0एल0 की दर से निर्गमण किए जाने वाले मात्रा पर संचलन शुल्क वसूली के उपरान्त ही आवश्यक पास निर्गत किया जा सकेगा।

2. यह अधिसूचना राज पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

स० सं०-10/नीति (शुल्क पुनरीक्षण)-88/2012

राजस्व पर्षद के आदेश से।

१८६  
उप सचिव  
राजस्व पर्षद बिहार,  
पटना।

ज्ञापांक:-10/नीति (शुल्क पुनरीक्षण)-88/2012 - 21

पटना, दिनांक:-09.1.2013

प्रतिलिपि:-ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की मूल प्रति (सी०डी० सहित) राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को वे राजपत्र के आगामी अंक में अविलम्ब प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

१८६  
उप सचिव  
राजस्व पर्षद बिहार,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-10/नीति (शुल्क पुनरीक्षण)-88/2012 - 21

पटना, दिनांक:-09.1.2013


प्रतिलिपि:-महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१८६  
उप सचिव  
राजस्व पर्षद बिहार,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-10/नीति (शुल्क पुनरीक्षण)-88/2012-2/

पटना, दिनांक:-09.1.2013

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव (सभी विभाग)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
राजस्व परषद बिहार,  
बिहार, पटना।